संख्या: 11/ 2021/ 230 /तीस-1-2021-5(31)/2015

प्रेषक,

मदन मोहन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 25 मार्च, 2021

विषय: जनपद-मऊ के बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला के निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-234बी/डीए/पूर्व/21-09जेईटी/वि0/15-16, दिनांक 03.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-30/2016/551/तीस-1-2016-5(31)/2015, दिनांक 08.08.2016 द्वारा जनपद-मऊ के बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला के निर्माण हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 1211.40 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2016-17 में कतिपय शर्तों के अधीन प्रथम किश्त के रूप में रू0 484.00 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी। उक्त के पश्चात शासनादेश संख्या-5/2018/1583/तीस-1-2018-5(31)/2015, दिनांक 27.02.2018 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 484.00 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 व्यय हेतु अवमुक्त की गयी तथा शासनादेश संख्या-14/2019/565/ तीस-1-2019-5(31)/2015, दिनांक 03.10.2019 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 182.837 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 व्यय हेतु अवमुक्त की गयी। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-13/2020/463/तीस-1-2020-5(31)/2015, दिनांक 01.09.2020 द्वारा रू0 1455.06 लाख (रू0 चौदह करोड़ पचपन लाख छः हजार मात्र) पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी। इस प्रकार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अब तक कुल रू0 1200.837 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की जा चुकी है । जनपद मऊ के बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला के निर्माण कार्य हेतु कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, (उ0प्र0 जल निगम) लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है ।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त पत्र दिनांक 03.03.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में प्रश्नगत बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला, मऊ के निर्माण हेतु सम्यक विचारोंपरान्त रू0 1455.06 लाख (रू0 चौदह करोड़ पचपन लाख छः हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति/स्वीकृत लागत के सापेक्ष, कार्य की निरन्तता बनाये रखने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु पांचवी किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(3) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं अद्यतन शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020, दिनांक 20 जनवरी, 2021 तदनुवर्ती शासनादेशों में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(7) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ परिवहन निगम को होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(8) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराये जाने तथा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किसी भी दशा में कार्यो की लागत में कोई पुनरीक्षत न किये जाने के संबंध में अनुबन्ध अनिवार्य रूप से निष्पादित करा लिया जाय।

(10) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(11) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा ।

(12) संबंधित वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।

(13) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा ।

(14) अन्य समस्त शर्ते पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या- 30/2016/551/तीस-1-2016-5(31)/2015, दिनांक 08.08.2016 के अनुरूप यथावत रहेंगी ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

भवदीय,

ह0
मदन मोहन
संयुक्त सचिव।

संख्या:11/2021/230(1)/तीस-1-2021-5(31)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, (उ0प्र0 जल निगम) लखनऊ ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
8. वित्त नियन्त्रक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, (उ0प्र0 जल निगम) लखनऊ ।
9. नियोजन अनुभाग-4 ।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3 ।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0
मदन मोहन
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।